मणिपुर यौन हिंसा

चर्चा में क्यों ?

- यौन उत्पीड़न वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, अदालत ने सरकारों को अपराधियों को दंडित करने या कार्रवाई करने के लिए अल्टीमेटम जारी किया; सॉलिसिटर-जनरल केंद्र को चिंता से अवगत कराएंगे।

अदालत का रुख

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अनुसार अदालत वीडियो से "अत्यन्य व्यथित" हुई, जिसमें संघर्षग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं की नग्न परेड और यौन उत्पीड़न दिखाया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने अदालत की ओर से बोलते हुए केंद्र और मणिपुर सरकार को अल्टीमेटम दिया कि या तो अपराधियों को सजा दी जाए या न्यायपालिका को कार्रवाई करने के लिए अलग कर दिया जाए।
- अदालत के आदेश में कहा कि "महिलाओं को तनावपूर्ण माहौल में हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल करना संवैधानिक लोकतंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य है।"

- मणिपुर की स्थिति में न्यायिक हस्तक्षेप केवल "मानवीय मुद्दों" तक बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य में शांति बहाली की सुविधा के लिए खुद को एक मंच के रूप में चित्रित करते हुए, अदालत ने हिंसा में फंसे लोगों

को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य पर भरोसा जताया था।

- वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, अदालत ने इसे "घोर संवैधानिक उल्लंघन और मानवाधिकारों का उल्लंघन" माना है।
- इन मौखिक आश्वासनों के बावजूद, बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों को स्पष्ट कर दिया कि वह तत्काल कार्रवाई देखना चाहती है। अदालत ने आदेश दिया, "हम केंद्र और मणिपुर सरकार दोनों को तत्काल कदम उठाने - उपचारात्मक, पुनर्वास और निवारक तथा लिस्टिंग की अगली तारीख से पहले की गई कार्रवाई से अदालत को अवगत कराने का निर्देश देते हैं।"
- इसने केंद्र और राज्य सरकारों को इस घटना के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि मणिपुर में चल रहे संघर्ष में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

चीतों का स्थानांतरण

चर्चा में क्यों ?

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चीतों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का आग्रह किया, ताकि बड़ी बिल्लियों को अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सके।
- **कारण –** हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए एक नर चीते की कुनो नेशनल पार्क में मौत को देखते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुकूल वातावरण में स्थानांतरण पर बल दिया और कहा कि इसे "प्रतिष्ठा का मुद्दा" न बनाया जाए।
- सिर्फ एक वर्ष में भारत में लाए गये कुल 20 चीतों में से आठ का मरना एक चिंताजनक विषय है।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान (Kuno National Park)

- यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे सन् 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना सन् 1981 में एक वन्य अभयारण्य के रूप में की गई थी।

भारत और श्रीलंका सम्बंध

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा केंद्र सरकार से कच्चातीवु द्वीप को श्रीलंका में स्थानांतरित करने के समझौते पर विचार करने के लिए राजनयिक प्रयास शुरू करने का आग्रह किया गया।
- श्रीलंका के आर्थिक संकट के बाद श्री विक्रमसिंघे की 21 जुलाई को भारत यात्रा, पिछले वर्ष अपनी वर्तमान जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद उनकी पहली यात्रा होगी।

तमिलनाडु सरकार का तर्क

- श्री स्टालिन ने 1974 में "राज्य सरकार की सहमति के बिना" कच्चातीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के पीछे के इतिहास को याद किया और तर्क दिया कि इसने तमिलनाडु को वंचित कर दिया है। मछुआरों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया और उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उन्होंने तमिलनाडु में अपनाए गए प्रस्तावों को भी रेखांकित किया।

- मछुआरों को पारंपरिक मछली पकड़ने के क्षेत्रों तक अत्यधिक प्रतिबंधित पहुंच, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बढ़ते उत्पीड़न और अतिक्रमण के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ता है।
- पाक खाड़ी के पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदान में मछली पकड़ने का अधिकार बहाल करना हमेशा तमिलनाडु सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है।
- 1956 से श्रीलंका में तमिलों के अधिकारों और आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए तमिलनाडु सरकार और द्रमुक की माँगों की ओर इशारा करते हुए, श्री स्टालिन ने तर्क दिया: "तमिलों के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना अत्यावश्यक है। प्रांतों को शक्तियों का पर्याप्त और सार्थक हस्तांतरण होना चाहिए, जो द्वीप राष्ट्र में तमिलों की वास्तविक और अनसुलझी आकांक्षाओं को पूरा करे।
- श्री स्टालिन के अनुसार नियमित गश्त, संचार चैनलों की स्थापना और चेतावनी प्रणालियों की स्थापना से उत्पीड़न और आशंका की घटनाओं में काफी कमी आ सकती है। 2016 में पुनर्गठित संयुक्त कार्य समूह की नियमित बैठकों और परामर्शों का भी प्रस्ताव रखा गया है।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल

चर्चा में क्यों ?

- संसद के वर्तमान मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) विधेयक, 2023 है।

प्रमुख बिंदु

- हालांकि इसका मसौदा सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, लेकिन इसमें अनुसंधान को वित्तपोषित करने के लिए एक नए केंद्रीकृत निकाय की परिकल्पना की गई है।
- NRF संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन जैसे मॉडलों पर आधारित है, जिसका लगभग $8 बिलियन का बजट कॉलेज और विश्वविद्यालय अनुसंधान के लिए वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है और यूरोपीय अनुसंधान परिषद बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान को वित्तपोषित करती है।
- हालाँकि, प्रशासकों के सार्वजनिक बयानों के अनुसार, एनआरएफ की योजना अपने बजट का बड़ा हिस्सा - ₹36,000 करोड़ - निजी क्षेत्र से लेने की है। कई वर्षों से, अनुसंधान पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 0.6%-0.8% के बीच रहा है या विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर आर्थिक आधार वाले देशों द्वारा खर्च किए गए 1%-2% से कम है।
- चीन, अमेरिका और इज़राइल जैसे देशों में, निजी क्षेत्र ने अनुसंधान व्यय का लगभग 70% योगदान दिया, जबकि भारत में, यह 2019-20 में भारत के कुल अनुसंधान व्यय का लगभग 36% (लगभग ₹1.2 लाख करोड़) था।
- केंद्र के तर्क के अनुसार, भारत में विश्वविद्यालय अनुसंधान को प्रेरित करने का तरीका अधिक निजी धन को आकर्षित करना होगा। हालाँकि यह एक उचित अपेक्षा है, यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के प्रस्ताव को कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है।
- निजी कंपनियों को उनके वार्षिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) दायित्वों के हिस्से के रूप में आवंटित धन को NRF को निर्देशित किया जाए। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष-2022 के दौरान, कंपनियों ने अपने CSR दायित्वों के हिस्से के रूप में ₹14,588 करोड़ खर्च किए। CSR के अनुसार लगभग 70% धन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता परियोजनाओं में खर्च किया था।
- कई देशों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान का अपेक्षाकृत बड़ा योगदान विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को निरंतर सरकारी समर्थन के कारण है।

- NRF जैसे संगठनों को ऐसी स्थितियाँ बनाने के लिए काम करना चाहिए जो नवाचार में रूचि रखने वाले निजी क्षेत्र के संगठनों के विकास को प्रोत्साहित करें।